



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 11.05.2026

थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-12/2026 धारा-115(2)/352/351(3)/118(2) भा0न्या0सं0 व 3(2)(V) SC/ST ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र टन्टू उर्फ शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम यरना करौंदा थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-11.05.2026 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत लोढवा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-21.01.2026 को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने पिता के साथ मिलकर थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोढवा में मुकदमा वादी के साथ शराब पीने को लेकर गाली-गलौज करते हुए मार-पीट की गयी थी जिसके सम्बंध में थाना सरायइनायत पर मु0अ0सं0-12/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रोहित सिंह पुत्र टन्टू उर्फ शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम यरना करौंदा थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 36 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-12/2026 धारा-115(2)/352/351(3)/118(2) भा0न्या0सं0 व 3(2)(V) SC/ST ACT थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजीव सिंह, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. का0 अरूण यादव, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-100/2026 धारा-85/80(2) भा0न्या0सं0 व धारा- 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र हयात अली निवासी ग्राम सुदनीपुर खुर्द थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-11.05.2026 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत हबुसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिवार-जनों के साथ मिलकर पीड़िता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायइनायत पर मु0अ0सं0-100/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सदाम हुसैन पुत्र हयात अली निवासी ग्राम सुदनीपुर खुर्द थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-100/2026 धारा-85/80(2) भा0न्या0सं0 व धारा- 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अंकित सिंह, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 मनोज यादव, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 अरूण यादव, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. म0का0 विधि वर्मा, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर

पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-69/2026 धारा-318(2)/351(2)/65(1) भा0न्या0सं0 व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वकील अहमद पुत्र स्व0 अली हसन निवासी ग्राम सराय दारा शिकोह उर्फ मिझुरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा दिनांक-11.05.2026 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धमौर स्थित ईदगाह तिराहा के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मिझुरा में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने व कही शिकायत करने पर जाने से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना बहरिया पर मु0अ0सं0-69/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

वकील अहमद पुत्र स्व0 अली हसन निवासी ग्राम सराय दारा शिकोह उर्फ मिझुरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 25 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-69/2026 धारा-318(2)/351(2)/65(1) भा0न्या0सं0 व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष मानवेन्द्र कुमार सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 बलवंत सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 राजकुमार, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. रि0का0 सूरज कुमार, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फाफामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-23/2026 धारा-90(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतेन्द्र पटेल पुत्र उमेश कुमार पटेल निवासी ग्राम विरसिंहपुर सराय भारत थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक- 11.05.2026 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत सुमेरी का पूरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मुकदमा वादी की बहन का जबरन गर्भपात करा दिया गया था जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई तथा कुछ दिन पश्चात इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फाफामऊ पर मु0अ0सं0-23/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 02 नामजद अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सतेन्द्र पटेल पुत्र उमेश कुमार पटेल निवासी ग्राम विरसिंहपुर सराय भारत थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 22 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-23/2026 धारा-90(2) भा0न्या0सं0 थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० विवेक कुमार सिंह, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० मुकेश कुमार यादव, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. हे०का० सत्य प्रकाश, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. रि०का० विशाल मिश्रा, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना बारा पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्ता व 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बारा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-11.05.2026 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 49/26 धारा 108 191(2)/115(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1. कविता पत्नी स्व० सुग्रीव बिन्द पुत्री मूलचन्द्र 2. चन्द्रशेखर उर्फ छोटू पुत्र मूलचन्द्र निवासीगण असरवई थाना बारा कमि० प्रयागराज को थाना क्षेत्र बारा से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2026 को वादी राजेश बिन्द पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम कोरारी थाना बारा जनपद प्रयागराज की तहरीरी सूचना बाबत आरोपीगण द्वारा तिलक समारोह में बाजा बजाने को लेकर विवाद करना तथा बीच बचाव करने गये वादी के पुत्र सुग्रीव के साथ मारपीट करना तथा पुनः सुबह वादी के पुत्र सुग्रीव के साथ मारपीट करना जिससे क्षुब्ध होकर वादी के पुत्र सुग्रीव द्वारा जहरीला पदार्थ खाँ लेना, जिसको एसआरएन हास्पिटल प्रयागराज के डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर देने के सम्बन्ध मे थाना बारा पर मु०अ०सं० 49/2026 धारा 108/191(2)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । जिसमे दिनांक 11.05.2026 को थाना बारा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्ता कविता पत्नी स्व० सुग्रीव बिन्द पुत्री मूलचन्द्र व 01

अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ छोटू पुत्र मूलचन्द्र निवासीगण असरवई थाना बारा कमि० प्रयागराज को थाना क्षेत्र बारा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-

1. कविता पत्नी स्व० सुग्रीव बिन्द पुत्री मूलचन्द्र निवासी ग्राम असरवई थाना बारा प्रयागराज, उम्र करीब 22 वर्ष ।
2. चन्द्रशेखर उर्फ छोटू पुत्र मूलचन्द्र निवासी असरवई थाना बारा कमि० प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष ।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 49/2026 धारा 108/191(2)/115(2) बीएनएस थाना बारा कमि० प्रयागराज ।

पुलिस टीम का विवरण-

1. व०उ०नि० दिनेश सिंह, थाना बारा कमि० प्रयागराज ।
2. का० पंकज सरोज, थाना बारा कमि० प्रयागराज ।
3. का० राजू कुमार खरवार, थाना बारा कमि० प्रयागराज ।
4. म०का० अंशिका देवी, थाना बारा कमि० प्रयागराज ।

थाना शंकरगढ़ पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक-11.05.2026 को थाना शंकरगढ़ पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 99/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डी०पी० एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी उर्फ राजा पुत्र रामआधर द्विवेदी 2. रविशंकर द्विवेदी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी निवासीगण भगदेवा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज को थाना क्षेत्र

शंकरगढ़ अंतर्गत रेलवे पावर हाउस के पास कस्बा शंकरगढ़ से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.05.2026 को वादी मंगलेश्वर प्रसाद पाठक पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर पाठक ग्राम पो0 लुक थाना अतरैला जनपद रींवा (म0प्र0) द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई तहरीर बावत ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग करते हुए प्रताडित करते हुए वादी की पुत्री रीना द्विवेदी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 99/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिससे संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके क्रम में आज दिनांक 11.05.2026 को वांछित अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी उर्फ राजा पुत्र रामआधर द्विवेदी 2. रविशंकर द्विवेदी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी उपरोक्त को थाना क्षेत्र शंकरगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी उर्फ राजा पुत्र रामआधर द्विवेदी निवासी भगदेवा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज।
2. रविशंकर द्विवेदी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी निवासी भगदेवा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 99/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 रमेश कुमार सिंह, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 सुरेन्द्र पाल, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 सन्नी चौधरी, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 रजनीश कुमार, थाना शंकरगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।